



<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम मय कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> <p>प्रकरण संख्या :- 103/2021</p> <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>22/3/22</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार प्रार्थी का अशुद्ध नाम छोटी पिता का नाम रामकुमार जाति ब्राह्मण निवासी हनुमानपुरा है का सही नाम विमला पुत्री रामकुमार जाति ब्राह्मण निवासी हनुमानपुरा शुद्ध किये जाने की अभिशंषा सहित रिपोर्ट प्रेषित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न किये गये दस्तावेजातों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थीया का नाम अन्य दस्तावेजातों में भी एक समान नहीं है। जबकि आवेदिका द्वारा अनुतोष भी भिन्न-भिन्न नाम बाबत चाहा गया है। अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">   झुन्झुनू (जज) </p>	